–:दिव्यांगजनों हेतु विशेष सूचना:–

संयुक्त मोबाईल कोर्ट का आयोजन

मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, भारत सरकार एवं राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखण्ड के संयुक्त तत्वाधान में माह सितम्बर, 2026 में संयुक्त मोबाईल कोर्ट आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य के समस्त दिव्यांगजनो से अपील की जाती है कि संयुक्त मोबाईल कोर्ट मे सुनवाई हेतु दिव्यांगजन अपनी शिकायती पत्र (भूमि एवं न्यायालय में प्रचलित शिकायती प्रकरण को छोड़कर) में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तथा शिकायत से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेखों व अपने मोबाईल नंबर सहित दिनांक 31.08.2026 तक कार्यालय/न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखण्ड, 12 तिलक रोड़, देहरादून में ई-मेल cduttarakhand@gmail.com अथवा डाक या नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं।

https://forms.gle/GPn4ebQMdnqPPa6Q8

संयुक्त मोबाईल कोर्ट द्वारा शिकायत की सुनवाई ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में की जाएगी। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि वह ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन सुनवाई के इच्छुक हैं।

संयुक्त मोबाईल कोर्ट में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण:-

- दिव्यांगजन को उनके अधिकार से वंचित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण।
- राज्य में संचालित योजनाओं का समुचित लाभ न मिल पाना।
- दिव्यांग प्रमाण-पत्र, पेंशन, सहायक उपकरण सेवा सम्बन्धित मामले।
- दिव्यांगजनों से सम्बन्धित अन्य प्रकरण।

नोडल अधिकारी दिव्यांगजन कार्यालय/न्यायालय दिव्यांगजन